

प्ररूप 2 ग
 (नियम 4 देखिये)
नाम-निर्देशन-पत्र
राज्य सभा के लिए निर्वाचन

पूरे चहरे के सामने से
 उपदर्शित करते हुए
 श्वेत / श्वेताम पृष्ठभूमि में
 (2 से.मी x 2.5 से.मी) स्टांप
 आकार का नवीनतम फोटो
 चस्पा करें

भाग-1

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं:-

अभ्यर्थी का नाम (पिता / माता / पति का नाम)

उसका डाक पता उसका नाम विधान सभा /

*संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 में कमसं0 पर

प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गयी सूची में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में प्रविष्टि कम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

**10.

* केवल जम्मू व कश्मीर के लिए।

**प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिए।

मैं, ऊपरवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ग) मैं इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं ;

(घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम ऊपर.....(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ; और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में¹ रिक्त स्थान को भरने के लिये चुने जाने के हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूं और न ही किया जाऊंगा।

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें).....
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था.....
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें.....
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं.....
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है.....
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो–
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....
- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?..... (हाँ/नहीं)
- यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे.....
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?..... (हाँ/नहीं)
- यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुशवित के अधिन हैं?.....(हाँ/नहीं)
- यदि हाँ, ब्यौरे दिजिए.....
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.....(हाँ/नहीं)
- यदि हाँ, निरर्हित किये जाने की अवधि.....
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत किया गया है?.....(हाँ/नहीं)
- यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख.....
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो वयष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है ?.....(हाँ/नहीं)
- यदि हाँ, तो कौन–सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं)के ब्यौरे.....

- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसायटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूँजी में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम में शेयर नहीं रखती है?(हां / नहीं)
- यदि हां, कौन सी सरकार के साथ और उनके ब्यौरे.....
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है?(हां / नहीं)
- यदि हां, निर्हन की तारीख.....

स्थान :

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-3
(रिटर्निंग आफीसर द्वारा भरा जाए)

नाम-निर्देशन-पत्र की कम सं0.....

यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे)
/अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख :

(रिटर्निंग आफिसर)

टिप्पण :— जहां कहीं अनुकल्प दिये गये हैं वहां लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय
मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया
है और निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

.....
.....
.....
.....

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)

भाग-5

नामनिर्देशन—पत्र के लिये रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन—पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिये)

नामनिर्देशन—पत्र का कम संख्यांक..... का, जो..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/ के निर्वाचकमंडल के सदस्यों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन—पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है। सभी नामनिर्देशन—पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को(बजे). (स्थान) में की जायेगी।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर